



अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के सुनहरे अवसर

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार एवं निर्माण उद्योग विकास परिषद् के सहयोग से

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार एवं निर्माण उद्योग विकास परिषद् के सहयोग से अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं के उत्थान के लिए निशुल्क प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर मुहैया कराये जा रहे हैं। योजना की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित हैं।

योजना का विवरण

क्र० सं०	विधाओं के नाम	अवधि	योग्यता	प्रशिक्षण शुल्क	महत्वपूर्ण जानकारी
1.	मेसन (राज मिस्त्री)	2 महीने	साक्षर	<u>प्रशिक्षण शुल्क:</u> राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। <u>प्रमाणीकरण शुल्क:</u> रु. 1510 / - (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देय) <u>सेफ्टी किट एवं इन्श्योरेंस:</u> निर्माण उद्योग विकास परिषद् के द्वारा दिया जाएगा।	1. सभी सफल प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के अवसर निर्माण उद्योग में दिये जायेंगे। 2. रोजगार के अवसर सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिये जा सकते हैं। 3. महिलायें भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं।
2	बार-बेन्डर (सरिया मिस्त्री)	2 महीने	साक्षर		
3	शटरिंग कारपेन्टर (शटरिंग बढई)	2 महीने	10वीं पास		
4	लैब टेक्नीशियन	3 महीने	12वीं पास		
5	क्वांटिटी सर्वेयर	3 महीने	12वीं पास		
6	डीजल मैकेनिक	3 महीने	साक्षर		
7	स्टोर कीपर	3 महीने	12वीं पास		
8	लैन्ड सर्वेयर	3 महीने	12वीं पास		
9	इलैक्ट्रीकल वायरमैन	3 महीने	12वीं पास		
10	साइड एकाउटेन्ट	3 महीने	12वीं पास		
11	जनरल वर्क्स सुपरवाइजर	3 महीने	12वीं पास		
12	सेफ्टी इंस्पेक्टर	3 महीने	12वीं पास		
13	ड्राफ्टमैन सिविल (आटो कैड)	4 महीने	12वीं पास		

कार्यक्रम की और अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

श्री एस० एन० सिंह

फोन नंबर :- (0129-4193915)

स्थानीय सम्पर्क सूत्र : -